बरेली, शुक्रवार
31 मार्च, 2023
नगर संस्करण
मूल्य ₹ 7.00
पृष्ठ 22

दैनिक जागरण

Page No. 09 : Middle

निजी मेडिकल कालेज व वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट को भूमि परिवर्तन शुल्क पर मिलेगी छूट

राब्यू, लखनऊ : राज्य सरकार ने निजी मेडिकल कालेज और वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट में निवेश करने वाले निवेशकों को भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में छूट का उपहार दिया है। निजी मेडिकल कालेज के लिए भूमि परिवर्तन शुल्क पर 100 प्रतिशत की छूट होगी, जबकि वेयर हाउसिंग एंड लाजिस्टिक्स नीति-2022 तहत गोदाम, कोल्ड स्टोरेज या ड्राई पोर्ट की स्थापना करने वाले उद्यमियों को भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में 75 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। हालांकि, इस छूट के साथ कुछ सख्त शर्तें भी जोड़ी गई हैं, यदि उनका अनुपालन न हुआ तो ब्याज समेत राशि सरकार को वापस करनी होगी। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।

विभाग के नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि इकाई का संचालन पांच वर्ष तक करने की बाध्यता होगी। इस अवधि तक इकाई के न चलने अथवा अन्य किसी शर्त का उल्लंघन करने पर छूट की राशि 15 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करनी होगी। नहीं तो उसकी वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति की जाएगी। वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट में भूमि परिवर्तन शुल्क पर छूट के लिए यह साफ किया है कि प्रोजेक्ट का क्षेत्रफल न्यूनतम एक लाख वर्गफीट होना चाहिए।